भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-797

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2022 को दिया जाना है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण

797. श्री नीरज डांगी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान राज्य सहित विभिन्न राज्यों में विद्युत क्षेत्र में आरंभ की गई योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान देश में कितने गांवों को विद्युतीकृत किया गया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने जनगणना 2011 के अनुसार सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण; ग्रामीण क्षेत्रों में एचटी तथा एलटी लाइनों के निर्माण सहित, उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों, फीडरों तथा उपभोक्ताओं की मीटरिंग तथा फीडर पृथक्करण और राजस्थान सहित पूरे देश के गांवों के विद्युतीकरण के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिसंबर, 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की थी।

सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्तूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य की शुरुआत भी की गई थी। यह स्कीम देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने से संबंधित थी। दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर, राज्यों द्वारा सभी घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी गई थी। तत्पश्चात, सात राज्यों अर्थात असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने बताया कि, दिनांक 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित, लगभग 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घर, जो पहले अनिच्छुक थे, लेकिन बाद में उन्होंने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है। इन सभी सात राज्यों ने दिनांक 31.03.2021 तक 100% घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी है। सौभाग्य की शुरूआत से, दिनांक 31.03.2021 तक, कुल 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

सौभाग्य स्कीम, जो अब बंद हो चुकी है, के तत्वावधान में राजस्थान में कुल 20,75,522 घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी गई है। राजस्थान के अनुरोध के आधार पर, जुलाई, 2021 में डीडीयूजीजेवाई नवीन के तहत विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत 2,10,843 अतिरिक्त घरों की तुलना में दिनांक 31.01.2022 तक की स्थिति के अनुसार 33,523 घर विद्युतीकृत किए जा चुके हैं।

इसके साथ-साथ, भारत सरकार ने दिसम्बर, 2014 में एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) शुरू की थी जिसके अंतर्गत विभिन्न वितरण अवसंरचना परियोजनाएं जैसे कि शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण; शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग; आईटी सक्षमीकरण कार्य; उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी); स्मार्ट मीटरिंग; गैस इन्सुलेटेड सब-स्टेशन (जीआईएस); और रीयल टाइम डाटा अधिग्रहण प्रणाली (आरटी-डीएएस) आदि शामिल हैं।

अब तक, यहां उल्लिखित परियोजना घटकों को शामिल करते हुए आईपीडीएस के तहत 30,802 करोड़ रूपये [19,322 करोड़ रूपये के भारत सरकार (जीओआई) के अनुदान सहित] मूल्य की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं, जिसमें से 16,717 करोड़ रूपये का भारत सरकार का अनुदान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया है।

(ख) : डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और आईपीडीएस के तहत जारी की गई निधियों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे क्रमशः **अनुबंध-I, II और III** पर दिए गए हैं।

(ग) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 28 अप्रैल, 2018 तक देश में सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, वर्ष 2014-15 की अवधि से दिनांक 28.04.2018 तक 18,374 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों के विद्युतीकरण की सूचना दी गई थी।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 797 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

डीडीयूजीवाई (आरई और अतिरिक्त इन्फ्रा सहित) के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात 2018-19 से 2021-22 (31.12.2021 तक) के दौरान जारी की गई निधियों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-22 (दिनांक 31.12.2021 तक)	जारी किया गया कुल अनुदान =क+ख+ग+घ
		जारी किया गया अनुदान (क)	जारी किया गया अनुदान (ख)	जारी किया गया अनुदान (ग)	जारी किया गया अनुदान (घ)	
1	आंध्र प्रदेश	177	8	8	12.84	206
2	अरुणाचल प्रदेश	160	37	32	14.46	243
3	असम	1,082	661	416	200.70	2360
4	बिहार	2,412	682	830	528.50	4453
5	छत्तीसगढ़	79	58	54	19.22	210
6	गुजरात	181	-	13	50.59	245
7	हरियाणा	22	50	5	37.01	114
8	हिमाचल प्रदेश	15	40	37	2.43	94
9	जम्मू और कश्मीर	527	65	35	-	627
10	झारखंड	1,362	610	355	33.57	2361
11	कर्नाटक	451	283	13	60.82	808
12	केरल	57	8	-	53.52	119
13	लद्दाख	15	24	-	-	39
14	मध्य प्रदेश	952	375	278	340.88	1946
15	महाराष्ट्र	482	225	158	21.35	886
16	मणिपुर	41	46	50	17.95	155
17	मेघालय	155	165	61	-	381
18	मिजोरम	35	16	5	5.11	61
19	नागालैंड	55	24	11	-	90
20	ओडिशा	1,369	330	122	59.11	1880
21	पंजाब	42	115	16	-	173
22	राजस्थान	1,246	273	116	117.83	1753
23	सिक्किम	21	9	28	-	58
24	तमिलनाडु	244	56	-	-	300
25	तेलंगाना	61	74	-	62.92	198
26	त्रिपुरा	112	47	48	51.37	258
27	उत्तर प्रदेश	3,560	946	1,661	717.63	6885
28	उत्तराखंड	270	269	5	0.12	544
29	पश्चिम बंगाल	1,281	261	149	81.91	1773
30	गोवा	3	7	-	-	10
31	डी एंड एन हवेली	1	-	-	1.58	3
32	पुदुचेरी	0	5	3	-	8
33	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	-	-	2	3.18	5
	कुल अनुदान	**16469**	**5767**	**4511**	**2494.6**	**29242**

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 797 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

सौभाग्य के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात 2018-19 से 2021-22 (31.12.2021 तक) के दौरान जारी की गई निधियों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-22 (दिनांक 31.12.2021 तक)	जारी किया गया कुल अनुदान =क+ख+ग+घ
		जारी किया गया अनुदान (क)	जारी किया गया अनुदान (ख)	जारी किया गया अनुदान (ग)	जारी किया गया अनुदान (घ)	
1	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	139.	14.	-	-	152.65
3	असम	403.	121.	118.	-	642.08
4	बिहार	199.	136.	17.10	-	352.13
5	छत्तीसगढ़	219.00	32.	42.	38.12	331.19
6	गुजरात	-	-	-	-	-
7	हरियाणा	-	3.	-	-	2.98
8	हिमाचल प्रदेश	0.82	3.	-	-	3.71
9	जम्मू और कश्मीर	51.	-	-	-	51.43
10	झारखंड	83.	4.	60.	28.3	175.18
11	कर्नाटक	-	39.	-	0.28	39.66
12	केरल	-	26.	13.	11.75	51.14
13	लद्दाख	-	-	-	-	-
14	मध्य प्रदेश	147.	-	6.	88.61	242.02
15	महाराष्ट्र	140.	43.	-	19.1	202.03
16	मणिपुर	35.	33.	12.	-	80.03
17	मेघालय	98.	88.	1.	0.11	187.00
18	मिजोरम	35.	-	6.	0.18	40.83
19	नागालैंड	34.	-	-	9.12	43.41
20	ओडिशा	168.	-	-	-	168.41
21	पंजाब	-	-	0.36	0.24	0.60
22	राजस्थान	103.	76.40	101.	25.95	306.26
23	सिक्किम	-	0.53	1.	0.23	1.91
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	-	15.	-	1.39	16.77
26	त्रिपुरा	237.	8.	0.27	14.74.	259.79
27	उत्तर प्रदेश	523.	26.	52.	116.61	717.29
28	उत्तराखंड	22.	7.	0.54	-	29.79
29	पश्चिम बंगाल	73.20	20.	16.	13.4	122.80
30	गोवा	-	-	-	-	-
31	डी एंड एन हवेली	-	-	-	-	-
32	पुदुचेरी	-	-	-	-	-
33	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	-
	कुल अनुदान	2,709	696	448	368	4221.09

****

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 797 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वर्तमान वर्ष सहित विगत तीन वर्षों के दौरान आईपीडीएस स्कीम का संवितरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-2020	वित्तीय वर्ष 2020-2021	वित्तीय वर्ष 2022-2022	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	2	6	8
2	आंध्र प्रदेश	18	29	101	23	170
3	अरूणाचल	-	15	56	23	94
4	असम	-	273	75	40	387
5	बिहार	18	624	315	114	1,071
6	छत्तीसगढ़	1	23	169	56	248
7	दिल्ली	33	-	57	-	90
8	गोवा	0	11	13	17	42
9	गुजरात	120	112	84	-	316
10	हरियाणा	30	42	72	2	146
11	हिमाचल प्रदेश	21	60	18	17	115
12	जम्मू-कश्मीर/लद्दाख	-	58	228	17	303
13	झारखंड	160	-	75	13	247
14	कर्नाटक	350	49	91	64	554
15	केरल	0	19	225	39	284
16	महाराष्ट्र	81	740	110	11	942
17	मणिपुर	64	-	-	-	64
18	मेघालय	9	1	29	11	50
19	मिजोरम	3	5	5	57	70
20	मध्य प्रदेश	123	364	202	53	742
21	नागालैंड	8	74	-	7	89
22	ओडिशा	247	128	22	9	407
23	पुदुचेरी	4	-	5	-	9
24	पंजाब	20	120	42	5	187
25	राजस्थान	-	417	96	41	554
26	सिक्किम	9	15	-	67	91
27	तमिलनाडु	24	596	27	84	730
28	तेलंगाना	223	11	56	49	339
29	त्रिपुरा	6	24	85	5	120
30	उत्तर प्रदेश	1,008	111	303	166	1,588
31	उत्तराखंड	87	73	224	44	428
32	पश्चिम बंगाल	45	607	422	15	1,090
		2,713	**4,600**	**3,210**	**1,055**	11,578

****